राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/षष्ठम/दिशा–निर्देश/2024–25/347 जयपुर, दिनांकः– 28.01.2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः– षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु (iii), (iv), (v) एवं (vi) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 55 प्रतिशत राशि मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता की योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा 2 प्रतिशत राशि लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए एवं 3 प्रतिशत राशि पंचायतीराज संस्थाओ द्वारा स्वयं की आय में वृद्धि पर प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।

आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु (i) एवं (ii) तथा बिन्दु संख्या 2 के उप बिन्दु (i) एवं (ii) के अनुसार **राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.00 प्रतिशत हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 73.2 एवं 26.8 प्रतिशत के अनुपात में किये जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिये जाने की संस्तुति की गई है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

आयोग द्वारा की गई संस्तुति अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

(अ) मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली **55** प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश :–

1 राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल व्यवस्था बाबत् (पेयजल आपूर्ति जिसमें पेयजल टंकियों का निर्माण, पाईप लाईन की स्थापना एवं रख–रखाव, हेण्डपम्प स्थापना एवं रख–रखाव इत्यादि शामिल है, विद्युत व्यय, पुर्नस्थापना) पर वहन किया जाना है।

2 ग्राम पंचायतों में सडको एवं सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट वहन, उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ अन्य मूल–भूत सेवाओं पर वहन किया जाना है।

3 पंचायती राज संस्थाएं राज्य वित्त आयोग षष्ठम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि से आधारभूत नागरिक सेवाओं के सृजन, संवर्धन एवं रखरखाव से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित कर सकेंगी:–

I. स्वच्छता (जिसमें नाली/नालों, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण/रख–रखाव शामिल है) एवं नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था की जावें।

II. पार्कों, खेल के मैदान की चारदिवारी एवं फुटपाथ निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तान की चारदिवारी का निर्माण एवं रख–ररखाव।

III. पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के अधीन चारागाह की भूमि पर चार–दिवारी निर्माण कार्य अनुमत होगे।

IV. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण एवं रख–रखाव कार्य अनुमत होगें, जिनमें पुस्तकालय, एवं वाचनालयों का निर्माण सम्मिलित होगा, जिनमें आवश्यकतानुसार फर्नीचर यथा कुसी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सकेगी, साथ ही जल टेंको का निर्माण, रख–रखाव एवं पेयजल आपूर्ति के कार्य अनुमत होगें।

V. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण को उपयोगी बनाने हेतु इन्डोर गैम यथा शतरंज, बास्केटबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन इत्यादि के आयोजन हेतु खेल–कूद सामग्री की व्यवस्था की जा सकेगी।

VI. स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आन्तरिक सड़कों, सीमेंट कांकरीट रोड़ (सी.सी. प्री–कॉस्ट, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, पत्थर/ईट खरंजा सहित) मय नाली निर्माण साथ ही फुटपाथ के कार्य अनुमत होंगे। इन कार्यों पर योजनांतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि की अधिकतम **40** प्रतिशत सीमा तक राशि खर्च की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

VII. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयों, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर आर्वती व्यय।

VIII. पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों में 05 वर्ष या उससे अधिक पुराने कम्प्यूटरों के स्थान पर नये कम्प्यूटरों का क्रय किये जाने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर आर्वती व्यय संबंधित ग्राम पंचायतों की निजी आय अथवा अनुदान राशि से जिला परिषद के माध्यम से किया जा सकेगा।

IX. ऑडिट फीस का भुगतान।

X. बस अड्डों पर टिनशेड एवं जनसुविधाओं की व्यवस्था, प्याऊ एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का रख–रखाव।

XI. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण।

XII. जिला प्रमुखों/प्रधानों एवं सरपंचों के मानदेय एवं भत्तों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देय भत्तों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जावेगा।

XIII. पंचायती राज संस्थाओं में शिविरों/अभियानों के लिए ग्राम पंचायत पर राशि रू. 1.00 लाख, पंचायत समिति पर राशि रू. 2.00 लाख और जिला परिषद पर राशि रू. 3.00 लाख की सीमा तक प्रतिवर्ष व्यय की जा सकेगी।

XIV. पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय बढाने हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के स्वामित्व भूमि पर वाणिज्यक परिसर जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां और सेवाये शामिल है (जैसे किराये हेतु कार्यालय, खुदरा स्टोर, रेस्तरां और अन्य व्यवसाय) एवं दुकानों का निर्माण एवं रख–रखाव कार्य अनुमत होगें, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं की चारागाह भूमि एवं उनके स्वामित्व की भूमि पर फलदार एवं औषधीय पौधा–रोपण एवं उनकी सुरक्षा हेतु तारबन्दी किया जा सकेगा।

XV. पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय बढाने हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा हाट बाजार, मेले इत्यादि का आयोजन किया जा सकेगा।

XVI. पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय बढाने हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी के बर्तन जैसे कुल्हड, मटका, तवा इत्यादि के निर्माण हेतु संयन्त्र की स्थापना एवं रखरखाव।

XVII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन।

XVIII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण/उन्नयनय, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों इत्यादि में शौचालयों का संनिर्माण तथा चारदीवारी स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

XIX. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में लड़कियों/बालिकाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर पृथक शौचालय का निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव एवं नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर किया जावें।

XX. नव सृजित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों और नई बनाई जाने वाली जिला परिषदों के लिए भवनों के निर्माण तथा जहाँ भी आवश्यक हो, तथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के भवनों की मरम्मत।

XXI. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुदानों का उपयोग पूरक निधियन/समान हिस्सेदारी आदि के लिए किया जा सकता है।

XXII. पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग पर्यटन/पुरातत्व विभागों द्वारा संरक्षित नहीं की जा रही विरासत संपत्तियों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है।

(ब) राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 40 प्रतिशत राशि का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में लिया जा सकता है:–

1 सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेन्स/डाटाबेस का उपयोग। (प्रियासॉफ्ट पीएफएमएस इंटरफेस (पीपीआई), ई–ग्राम स्वराज पोर्टल जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतो में एक–एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन, आवर्ती व्यय सहित)।

2 पेयजल/आर.ओ. प्रणाली।

3 मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर प्रथम चार्ज के रूप में ही राशि व्यय किया जा सकेगी/वृक्षारोपण।

4 स्वच्छ भारत अभियान/विद्यालय एवं आंगनबाडी स्वच्छता/ओ.डी.एफ./स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गयी सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन और रख–रखाव।

5 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना।

6 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।

7 अम्बेडकर भवनों के निर्माण एवं इन्हे उपयोगी बनाने के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालयों का निर्माण जिनमें आवश्यकतानुसार फर्नीचर यथा कुसी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

8 सौर/एल.ई.डी. लाईटों का उपयोग।
9 अग्निशमन सेवाएं।
10 लिंग संवेदीकरण –बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
11 मुकदमेबाजी रहित ग्राम/शहर/अपराध से मुक्त ग्राम।
12 युवा विकास के लिए क्रियाकलाप (जैसेः–खेल, खेल–कूद के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन यथा शतरंज, बास्केटबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन इत्यादि सम्मिलित होगें, कौशल, स्वच्छता एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु कैम्पों का आयोजन जिनमें राष्ट्र निर्माण कियाकलाप सम्मिलित हो।)

टिप्पणी :– 1. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (i) के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि/अधिकारी की व्यक्तिगत जरूरतों/आवश्यकताओं, विज्ञापन प्रदर्शन, वाहनों के क्रय पर कोई धनराशि तब तक खर्च नही की जाएगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत हो।

2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) में की गई सिफारिशें, आयोग के आगामी अंतरिम प्रतिवेदन के प्रभावी होने तक प्रवृत्त रहेगी।

(स) लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए :– आयोग द्वारा 2 प्रतिशत राशि लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए दिए जाने की सिफारिश की गई है। जिसका उपयोग महिलाओ के लिए निम्नलिखित सुविधाओ के सृजन के लिए किया जायेगा :–

(i) प्रत्येक पंचायती राज संस्थान में हाथ धोने की सुविधाओं सहित पृथक शौचालय।
(ii) सभी कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समितियों से प्रासंगिक जानकारी देने वाला प्रदर्शन पट्ट और इसी के साथ प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय में महिलाओं की अध्यक्षता में एक हैल्प डेस्क होनी चाहिए जिसमें महिला कल्याण/कार्यकमों के बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए तथा उनकी शिकायतों के निवारण की सुविधा होनी चाहिए।
(iv) पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्यालयों में महिला आगंतुकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

(द) निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 3 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देशः–

आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 3 के उप बिन्दु (1) के बिन्दु (vi) के अनुसार **प्रोत्साहन अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किये जाने की सिफारिश की गई है।**

आयोग द्वारा प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 प्रतिशत राशि का वितरण निम्नानुसार कार्य निष्पादन करने पर देय होगीः–

(i) **पूर्व वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व (निजी आय) में वृद्धिः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 7 व 8 के नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **यदि कोई पंचायती राज संस्था (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्रम पंचायत) पिछले तीन वर्षों की स्वयं की आय के औसत की तुलना में अपना स्वयं का कर/गैर–कर राजस्व बढाती है, तो उसे वर्तमान मांग या बकाया की वसूली से बढाई गई अतिरिक्त राशि के समान प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा।**

(ii) **जो ग्राम पंचायत आय बढ़ाती है, वह अपना दावा पंचायत समिति को प्रस्तुत करेगी, इसके लिए पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा। जो इसे जिला परिषद को और जिला परिषद, पंचायती राज विभाग को अग्रेषित करेगी।**

(iii) **जो पंचायत समिति आय बढ़ाती है, वह अपना दावा जिला परिषद को दावा प्रस्तुत करेगी, इसके लिए निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जो इसे पंचायती राज विभाग को अग्रेषित करेगी।**

(iv) **जो जिला परिषद आय बढ़ाती है, वह अपना दावा पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगे। जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 18:01:53 IST
Reason: Approved

पंचायती राज संस्थाओं को 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि उक्त कार्यों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र (संलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट– 3, 4 एवं 5) पंचायती राज विभाग मुख्यालय को प्राप्त होने पर ही देय होगी। निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 3 प्रतिशत राशि हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित नहीं की जावेगी, जिसके लिए संबंधित पंचायती राज संस्थाऐं स्वयं जिम्मेदार होगी।

<u>कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था</u> :–योजनांतर्गत कार्यो का संपादन विभाग में वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अंकित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुरूप तथा आर.टी.पी.पी.एक्ट–2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम–2013 के प्रावधानुसार ही किया जायेगा।

<u>राशि के समायोजन के सम्बन्ध में:–</u>

1. पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के हस्तांतरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के भाग–1 के अध्याय–17 के नियम 284 से 286 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) के अनुरूप तैयार कर प्रेषित किया जावेगा।
2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र संबंधित पंचायत समिति में प्रेषित किया जावेगा साथ ही पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित जिला परिषदों में प्रेषित किया जाएगा। जिला परिषदों द्वारा अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं के समस्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में संकलित कर वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मुख्यालय को हार्डमय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.fa@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और जिला परिषद को प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम / द्वितीय एवं सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

4. ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन संबंधित पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा, साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिकृत होंगे।
5. पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद स्तर के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता/ सहायक अभियंता अधिकृत होंगे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 07 दिवस के भीतर वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मुख्यालय को हार्डमय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.fa@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं प्रदत्त अनुदान राशि की मासिक वित्तीय प्रगति एवं भौतिक प्रगति संबंधी सूचनाऐं संलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रतिमाह 05 तारीख तक संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग अनुभाग), पंचायती राज मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.jdm@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।
8. यह दिशा निर्देश षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसरण में जारी किये जा रहे है। उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा।
9. ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 272400063 दिनांक 29.10.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा।

संलग्नः– मासिक प्रगति प्रारूप।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/षष्ठम/दिशा–निर्देश/2024–25 जयपुर, दिनांकः–

1 निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 सदस्य सचिव, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन, बी–ब्लॉक प्रथम तल, जनपथ, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
6 अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
7 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
8 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
9 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
10 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
11 उपनिदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर), पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
12 रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

परिशिष्ट–1

जिला परिषद .... **माह..........**

राज्य वित्त आयोग–षष्ठम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायती राज संस्था	01.04.2024 से अब तक की प्रगति																			
			वित्तीय प्रगति						भौतिक प्रगति						कुल में से अनुसूचित जाति के लिए				कुल में से अनुसूचित जन जाति के लिए			
			01.04.2024 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय	अवशेष राशि	व्यय प्रतिशत	गत वर्ष के अपूर्ण कार्य	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	शुरू नहीं किये गये कार्य	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

RajKaj Ref No.: 13247621

कार्यालय जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत...............के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र............. वित्तीय वर्ष ....बजट शीर्ष....................

आदेश/ स्वीकृति का विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग की संख्या एवं तारीख	
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या एवं दिनांक	**वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि उनकी स्वीकृति के संदर्भ सहित**

1. प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये आदेश संख्या के जरिये जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के पक्ष में बजट शीर्ष......................... के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक स्वीकृत की गई सहायता अनुदान की राशि रू...............तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के अव्ययित शेष की राशि इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि ....रू. में से रू.....................की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए वह प्रदान की गई थी तथा यह कि जिन शर्तों पर यह स्वीकार किया गया था वे पूरी कर ली गई है एवं यह कि रू...................की अव्ययित अनुदान राशि को अगले वित्तीय वर्ष ....में इसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाएगा या विभाग के निर्देश/अनुदेशों के अनुसार 30 जून................ तक अनुपयोजित अनुदान की राशि रू........................को बजट शीर्ष......................... के अधीन ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनांक.............................द्वारा समर्पित कर दिया गया है/जमा करा दिया गया है।

विकास अधिकारी | **सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय** **वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी** | **सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता** **अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता**

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इससे अपना समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है तथा अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए उसे स्वीकार किया गया था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

षष्ठम राज्य वित्त अयोग अन्तर्गत वित्तीय 2024–25 के लिए पात्र अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु पंचायत समिति का प्रमाण–पत्र।

कार्यालय, पंचायत समिति,....................................
क्रमांकः दिनांकः

उपलब्ध रिकार्ड/संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत समिति............की अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए देय 3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान की राशि हेतु वांछित पात्रता की शर्ते पूर्ण करने के फलस्वरूप इन्हें प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की जाती है :–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान पात्रता हेतु पूर्ण की गई शर्त का विवरण
1.			
2.			
3.			

विकास अधिकारी
पंचायत समिति............

सहायक लेखाधिकारी
पंचायत समिति......................

नोटः– कृपया आपके अधिनस्थ सभी ग्राम पंचायतों का नाम सूची में अंकित करावें एवं जिस ग्राम पंचायत ने पात्रता की शर्त पूर्ण नही की हो उसके समक्ष अपात्र अंकित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

प्रपत्र–4

षष्ठम राज्य वित्त अयोग अन्तर्गत वित्तीय 2024–25 के लिए पात्र अधीनस्थ पंचायत समितियों को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला परिषद का प्रमाण–पत्र।

कार्यालय, जिला परिषद,...................................

क्रमांकः दिनांकः

उपलब्ध रिकार्ड/संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि जिला परिषद ....की अधीनस्थ पंचायत समितियों को षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए देय 3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान की राशि हेतु वांछित पात्रता की शर्ते पूर्ण करने के फलस्वरूप इन्हें प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की जाती है :–

क्र.सं.	**पंचायत समिति का नाम**	**3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान पात्रता हेतु पूर्ण की गई शर्त का विवरण**
1.		
2.		
3.		

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद............

मुख्य/वरिष्ठ /लेखाधिकारी
जिला परिषद.......................

नोटः– कृपया आपके अधिनस्थ सभी पंचायत समितियों का नाम सूची में अंकित करावें एवं जिस पंचायत समिति ने पात्रता की शर्त पूर्ण नही की हो उसके समक्ष अपात्र अंकित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621

षष्ठम राज्य वित्त अयोग अन्तर्गत वित्तीय 2024–25 के लिए पात्र जिला परिषद को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला परिषद का प्रमाण–पत्र।

कार्यालय, जिला परिषद,...................................

क्रमांकः   दिनांकः

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि जिला परिषद .... षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए देय 3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान की राशि हेतु वांछित पात्रता की शर्ते पूर्ण करती है।

जिला प्रमुख
जिला परिषद............

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.......................

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.28 13:01:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247621